भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 476

जिसका उत्तर 01 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है।

10 अग्रहायण, 1943 (शक)

साइबर धोखाधड़ी

476. श्री राजबहादुर सिंह:
श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्रीमती संध्या राय:
श्री कृष्णापालसिंह यादव:
श्री पी.पी.चौधरी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर दर्ज साइबर धोखाधड़ी से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार साइबर धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों की बढ़ती संख्या को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए पर्याप्त उपाए कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार सामान्य साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए कोई जागरूकता अभियान की तैयारी कर रही है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) : उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर साइबर धोखाधड़ी की कुल संख्या 11713 और 9002 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ऐसे किसी डेटाबेस का अनुरक्षण नहीं करती है।

(ख) और (ग): केंद्र और राज्यों में कानून प्रवर्तन एजेंसियां (एलईए) साइबर अपराधियों के खिलाफ कानून के प्रावधानों के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई करती हैं। सरकार विभिन्न जागरूकता योजनाओं के माध्यम से साइबर अपराधों से निपटने में राज्यों की सहायता करती है। साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने कई कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं:

(i) भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) नियमित आधार पर कंप्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए नवीनतम साइबर खतरों/ सुभेद्यताओं और प्रतिउपायों के बारे में अलर्ट और परामर्शी निदेश जारी करता है।

(ii) साइबर अपराध पर जागरूकता फैलाने के लिए, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कई कदम उठाए हैं जिसमें @साइबर दोस्त नामक एक ट्विटर हैंडल के माध्यम से साइबर अपराध पर संदेशों का प्रचार प्रसार करना, रेडियो अभियान चलाना, किशोरों/छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, सरकारी अधिकारीयो/कर्मचारियो के लाभ हेतु सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रकाशन करना शामिल है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों आदि में पुलिस विभाग के सहयोग से साइबर, साइबर अपराधों पर अलर्ट/परामर्शी निदेश जारी करना, कानून प्रवर्तन कर्मियों/अभियोजकों/न्यायिक अधिकारियों हेतु क्षमता

निर्माण करना/प्रशिक्षण देना, साइबर फोरेंसिक सुविधाओं में सुधार आदि के सम्बंध में सुरक्षा और संरक्षा जागरूकता सप्ताहों का आयोजन करना ।

(iii) एमईआईटीवाई सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) नामक एक कार्यक्रम के माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करते समय नीतियो का अनुपालन करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा कर रहा है और अफवाहों/गलत समाचारों को साझा न करने की सलाह देता रहा है। सूचना सुरक्षा जागरूकता के लिए एक समर्पित वेबसाइट **(https://www.infosecawareness.in)** सभी संगत जागरूकता सामग्री प्रदान करती है ।

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल लेनदेन से संबंधित सुरक्षा और खतरा कम करने के प्रतिउपायों के संबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं जिसमें कार्ड लेनदेन को सुरक्षित करना, इंटरनेट बैंकिंग/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम से भुगतान सुरक्षित करना, एटीएम लेनदेन, प्रीपेड भुगतान साधनों(पीपीआई), अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन पर ग्राहक की देयता को सीमित करना, अधिकृत गैर-बैंकों द्वारा जारी पीपीआई में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक की देयता को सीमित करना, कार्ड लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाना आदि शामिल है ।

****